न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

प्र0सं0 176 / 2017 राजस्व विविध प्रकरण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तेजवीर पुत्र श्री मुखत्यारसिंह जाति जाट निवासी ग्राम कौंरेर तहसील डीग जिला भरतपुर

—वादी / प्रार्थी

बनाम

1. प्रहलाद
2. शिब्बो
3. फौरन
4. हरदम पुत्रगण छिद्दी जाति जाट निवासियान ग्राम कौंरेर तहसील डीग जिला भरतपुर

—प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट बावत् खसरा नं0 2563 स्थित ग्राम कौंरेर की आराजी में से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने बाबत।

निर्णय — दिनांक— 15.02.2018

वादी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि हाल आराजी ख0नं0 2562 रकबा 0.23 स्थित ग्राम कौंरेर तहसील डीग है, जिसमें से प्रार्थी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है और प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर 2562 रकबा 0.23 के अपने 1/2 हिस्सा की आराजी में से करीब 0.09 एयर का बेचान

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

दीगर व्यक्ति को कर दिया था और ख0नं0 2562 में से करीब 2 एयर भूमि को अपने खेतों में आने–जाने के लिये रास्ता के रूप में रखा था, क्योंकि प्रार्थी बुजुर्गान के जमाने से ही ख0नं0 2562 के पश्चिम से निकलता हुआ 2563 के पश्चिम में प्रवेश करता हुआ अपनी अन्य आराजी ख0नं0 2626, 2625, 2601 व अन्य आराजियात में प्रवेश करके अपने कृषि यंत्रों को लाता व ले जाता रहा है और इसी रास्ता से होकर यानि कि आम रास्ता से प्रार्थी एवं उसके बुजुर्गान ख0नं0 2562 में प्रवेश करते हुए 2563 के पश्चिम में निकलते हुए अपने ख0नं0 2626 व 2625, 2601 व अन्य अपनी कृषि भूमि पर काश्त के लिये सैंकड़ों सालों से आते जाते रहे है। ख0नं0 2563 रकबा 0.22 स्थित ग्राम कौंरेर अप्रार्थीगण की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है और उक्त ख0नं0 2263 प्रार्थी की आराजी ख0नं0 2562 से लगा हुआ है और प्रार्थी का खसरा नम्बर 2562 आम रास्ता से लगा हुआ है और प्रार्थी व उसके बुजुर्गान बिना किसी बाधा व अवरोध के ख0नं0 2563 के पश्चिम में करीब 30 फुट रास्ता का उपयोग व उपभोग अपने ट्रैक्टर–ट्रोली को लाने ले जाने एवं अपने कृषियंत्रों को अपनी अन्य कृषि भूमि तक लाने ले जाने में करते रहे हैं। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि ख0नं0 2626, 2625, 2601 व अन्य आराजियात तक पहुँचने का रास्ता मात्र ख0नं0 2563 में होकर है। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि की पहुँच के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता ख0नं0 2563 के सिवाय नहीं है। केवल कृषि भूमि तक कृषि यंत्रों को लाने ले जाने व काश्त करने का रास्ता मात्र 2563 में होकर है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी अपने बुजुर्गान के जमाने से निरन्तर करता चला आ रहा है और उक्त रास्ता में होकर अन्य काश्तकार भी आते–जाते रहें हैं।

गैरसायलान के मन में अब बदनियति आई हुई है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नं0 2626 व 2625 व 2601 में दिनांक 10.11.2017 को काश्त के लिये जोतने बोने गया तो प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने वादी/प्रार्थी को खसरा नं0 2563 में से निकलने से रोक दिया, तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि ख0नं0 2563 में से रास्ता का उपयोग एवं उपभोग पश्चिम दिशा में प्रार्थी/वादी बुजुर्गान के जमाने से उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा अप्रार्थीगण ने दिनांक 10.11.2017 प्रार्थी वादी के ख0नं0 2563 में होकर अपनी

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

कृषिभूमि तक पहुँचाने को बंद करने व उसमें निर्माण कार्य करने की धमकी दी है। प्रार्थी वादी के पास अपनी अन्य कृषि भूमि पर आने-जाने का एक मात्र रास्ता ख0नं0 2563 की पश्चिम दिशा में होकर रास्ता रहा है, जिसका उपयोग व उपभोग वादी प्रार्थी निरन्तर करता चला आ रहा है। प्रार्थी वादी के पास उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अगर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी अमुक धमकी दिनांक 10.11.2017 के आधार पर ख0नं0 2563 में से प्रार्थी वादी के रास्ता को बंद कर दिया अथवा उक्त ख0नं0 2563 में निर्माण कार्य कर दिया तो प्रार्थी/वादी को उक्त रास्ता के सम्बन्ध में अपरिमित क्षति पहुँचेगी। जिसकी क्षतिपूर्ति जरिये नकद अथवा अन्य किसी आधार से नहीं हो सकेगी। ऐसी सूर में प्रार्थी/वादी ख0नं0 2563 स्थित ग्राम कौंरर की आराजी में से पश्चिम दिशा की ओर 30 फुट रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त भूमि की डीएलसी राशि देने अथवा रास्ता उपयोग की भूमि के बराबर भूमि देने को तैयार है। अतः प्रार्थी के खातेदारी का ख0नं0 2562 से लगा हुआ अप्रार्थीगण के खातेदारी के ख0नं0 2563 के व तरफ पश्चिम में 30 फुट चौड़ा रास्ता हेतु भूमि दिलाई जावे।

वादी/प्रार्थी का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब पेश करने हेतु अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने उपस्थित अदालत आकर वादी/प्रार्थी के साथ अपना राजीनामा इस आशय के साथ पेश किया कि वादी/प्रार्थी के ख0नं0 2626, 2625 व 2601 स्थित ग्राम कौंरर कृषि कार्य हेतु आने जाने का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। वादी/प्रार्थी के खेत ख0नं0 2562 स्थित ग्राम कौंरर में अपनी 0.02 एयर भूमि को रास्ते के उपभोग में ले रहे हैं। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का खेत ख0नं0 2563 ख0नं0 2562 से सटा हुआ है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा वादी/प्रार्थी को रास्ता के उपयोग व उपभोग हेतु 0.02 एयर भूमि मौके पर बजानिब पश्चिम की ओर दे दी है और वादी/प्रार्थी, अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को उक्त ख0नं0 2563 में से 0.02 एयर भूमि की तुलना में अपने खेत ख0नं0 2601 रकबा 0.25 में से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को 0.05 एयर भूमि दे दी है।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

अगर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण, वादी/प्रार्थी से कोई लिखित में रजिस्टर्ड बयनामा व अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण कराना चाहेंगे, तो उसके लिये वादी/प्रार्थी तत्पर तैयार रहेगा। उक्त ख0नं0 2563 में से 0.02 एयर भूमि को व जानिब पश्चिम की ओर रास्ता में सम्मिलित करते हुए हाल नक्शा एवं जमाबन्दी में रास्ता के इन्द्राज किये जावेंगे और वादी/प्रार्थी को उक्त मुकदमा में पारित निर्णय की भी इजराय जरिये तहसीलदार डीग से कराने का अधिकार होगा। ख0नं0 2563 में से 0.02 एयर भूमि का जो रास्ता वादी/प्रार्थी को दिया गया है, वह उसका निजी रास्ता रहेगा, कभी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न ही उनके वारिसान कोई हस्तक्षेप करेंगे, लिहाजा यह राजीनामा स्वत्यचित प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी भय व दबाव के लिखाया गया है।

वादी/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 प्रदर्श पी.[1] व प्रदर्श पी.[2] नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 प्रदर्श पी.[3] एवं नक्शा किस्तवार ग्राम कौंरेर प्रदर्श पी.[4] पेश किये हैं एवं मौखिक साक्ष्य में वादी/प्रार्थी तेजवीर एवं गवाह महेन्द्रसिंह ने अपने बयान प्रदर्श पी.डब्ल्यू.[1] व पी.डब्ल्यू.[2] दर्ज कराकर अपनी साक्ष्य पूर्ण की।

विद्वान वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादी/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को एवं प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि वादी के खातेदारी ख0नं0 2562 से लगा हुआ अप्रार्थीगण के खातेदारी ख0नं0 2563 में से रकबा 2 एयर को प्रार्थी के अन्य खातेदार ख0नं0 2626, 2625 व 2601 में जाने हेतु रास्ता दिलाया जावे। उक्त 2 एयर रकबा के बदले में प्रार्थी अपने अन्य खातेदार ख0नं0 2601/0.25 में से 5 एयर भूमि अप्रार्थीगण को देने हेतु तैयार है तथा मौके पर 5 एयर भूमि दे दी गई है। इस 5 एयर भूमि को वादी से अप्रार्थीगण को लिखित रूप में रजिस्टर्ड बयनामा व अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण करने हेतु तत्पर है। अतः इसी अनुसार वादी/प्रार्थी को अप्रार्थीगण के ख0नं0 2563/0.22 हैक्टे0 में से व तरफ पश्चिम 30 फुट

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज

चौड़ा रास्ता यानि 2 एयर निजी उपयोग हेतु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान की जावे। विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रकट की।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर हमने मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कौंरर सम्वत् 2070–2073 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ख0नं0 2562/0.23 हैक्टे0 के 1/2 हिस्से पर खातेदारी दर्ज है एवं संलग्न नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी.[4] के मुताबिक प्रार्थी के उक्त ख0नं0 2562 से लगता हुआ अप्रार्थीगण का खातेदारी का नम्बर 2563 स्थित है। प्रार्थी अपने खातेदारी ख0नं0 2562 में स्थित रास्ते को अप्रार्थीगण के ख0नं0 2563/0.22 के रकबा में व जानिब पश्चिम की तरफ बढाते हुए अपने अन्य खातेदारी खसरा नम्बरान 2626, 2625 व 2601 तक जाने हेतु मांग की है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के ख0नं0 2563 में से 2 एयर रास्ता लेने के एवज में अपने खातेदारी ख0नं0 2601/0.25 हैक्टे0 में से 5/25 यानि 5 एयर रकबा देने हेतु अपनी सहमति जाहिर की है। इसके अलावा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थी को अप्रार्थीगण के ख0नं0 2563 के व जानिब पश्चिम दिशा में निजी रास्ता हेतु रकबा 2 एयर पर रास्ता एवं प्रार्थी खातेदारी ख0नं0 2601/0.25 हैक्टे0 में से 5 एयर यानि 5/25 हिस्सा भूमि को अप्रार्थीगण के नाम जरिये वयनामा व अन्य तरीका से हस्तांतरण करना स्वीकार किया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानुसार पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि :–

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रस्तुत राजीनामा से प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 प्रमाणित होने पर स्वीकार किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के खातेदारी ख0नं0 2563/0.22 हैक्टे0 बांके ग्राम कौंरेर के हिस्सा 2/22 व जानिब पश्चिम दिशा पर रास्ता कायम किये जाने की एवं प्रार्थी के खातेदारी ख0नं0 2601/0.25 हैक्टे0 बांके ग्राम कौंरेर के हिस्सा 5/25 पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के नाम दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तहसीलदार डीग उक्त आदेश की पालना टी.पी.एक्ट (सम्पत्ति अंतरण एक्ट) के तहत नियमानुसार कार्यवाही के पश्चात् ख0नं0 2563/0.22 के हिस्सा 2/22 पर हाल राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करें तथा हाल ख0नं0 2601/0.25 हैक्टे0 के 5/25 हिस्सा पर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करें।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.